



पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

प्रलिस के लिये:

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, पर्यावरण संरक्षण कोष, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन।

मेन्स के लिये:

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावति संशोधन, EPA की वशिषताएँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की कमरियाँ।

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#) में संशोधन का प्रस्ताव रखा।

- हालाँकि हाल ही में जो प्रावधान लागू हुए हैं वे पहले से लागू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान [एकल उपयोग प्लास्टिक](#) प्रतबिध के दंडात्मक प्रावधानों के लिये लागू होंगे हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावति प्रमुख संशोधन क्या हैं?

- मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिये कारावास के भय को दूर करने हेतु EPA, 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव कथिा गया है।
 - इसमें "कम गंभीर" उल्लंघनों के लिये दंड के रूप में कारावास कसिजा को हटाना शामिल है।
 - हालाँकि **EPA** के गंभीर उल्लंघन जो गंभीर क्षति या जीवन की हानि का कारण बनते हैं, को **भारतीय दंड संहतिा** के प्रावधान के तहत कवर कथिा जाएगा।
- EPA के प्रावधानों की वफिलता, उल्लंघन या गैर-अनुपालन जैसी रपौरट, जानकारी प्रस्तुत करना आदि से अब वधिवित**अधकित न्यायनरिणयन अधिकारी के माध्यम से मौद्रकि दंड लगाकर** नपिटा जाएगा।
- कारावास के बजाय इस संशोधन में एक पर्यावरण संरक्षण कोष के नरिमाण का प्रस्ताव भी कथिा गया है जसिमें पर्यावरण को हुए नुकसान का न्यायनरिणयन के बाद अधिकारी द्वारा लगाए गए दंड की राशि को माफ कर दथिा जाएगा।
 - केंद्र सरकार उस तरीके को नरिधारति कर सकती है जसिमें संरक्षण नधि को प्रशासति कथिा जाएगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:

- परचिय:**
 - EPA, 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालकि आवश्यकताओं के अध्थयन, योजना तथा कार्यान्वयन हेतु ढाँचा स्थापति करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिये त्वरति और पर्याप्त प्रतकिरथिा की प्रणाली नरिधारति करता है।
- पृष्ठभूमि:**
 - EPA का अधिनियमन जून, 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजति "**मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन**" को देश में प्रभावी बनाने हेतु कथिा गया। जज्ञातव्य है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिये उचति कदम उठाने हेतु इस सम्मेलन में भाग लथिा था।
 - अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लथिे गए नरिणयों को लागू करता है।
- संवैधानकि प्रावधान:**
 - EPA को **भारतीय संवैधान के अनुच्छेद 253** के तहत अधिनियमति कथिा गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है।
 - संवैधान का अनुच्छेद 48A** नरिदषिट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद 51A** में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरकि पर्यावरण की रक्षा करेगा।

■ केंद्र सरकार की शक्तियाँ:

- EPA केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिये विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु अधिकृत अधिकारियों को अधिकार देता है।
- EPA सरकार को नमिनलखिति अधिकार भी देता है:
 - पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
 - विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या नरिवहन जैसे विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिये मानक निर्धारित करना।
- अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को नमिनलखिति के मामले में नरिदेश देने की शक्ति प्राप्त है:
 - किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, नषिध या वनियमन।
 - वदियुत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्तिमें ठहराव या वनियमन।

EPA के तहत अपराधों और दंड की वर्तमान स्थिति:

- अधिनियम के किसी भी प्रावधान का गैर-अनुपालन या उल्लंघन एक अपराध माना जाता है।
- **अपराधों का संज्ञान:**
 - कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शकियत नमिलखिति में से किसी के द्वारा न की गई हो:
 - केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधकिरण।
 - एक ऐसा व्यक्ति, जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधिप्राधकिरण को 60 दिनों का नोटिस सौपने के पश्चात् न्यायालय के पास आया हो।
- **दंड:**
 - EPA के मौजूदा प्रावधानों या इस अधिनियम के नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्त्ता को 5 वर्ष तक की कैद या 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
 - इस तरह के उल्लंघन को जारी रखने के मामले में प्रतिदिन के लिये 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके दौरान इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है तो इस तरह के पहले उल्लंघन के लिये दोषी ठहराया जा सकता है।
 - यदि उल्लंघन दोष सिद्ध होने की तिथि के बाद एक वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास कसिज़ा से दंडित किया जा सकता है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

अधिनियम की कमियाँ:

- **अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण:**
 - अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है।
 - जहाँ केंद्र को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं वहीं राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी है।
- **कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं:**
 - अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है।
 - जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।
- **सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना:**
 - यह अधिनियम **प्रदूषण** की आधुनिक अवधारणा जैसे- शोर, **अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली** और **वकिरण तरंगों** को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं।

पर्यावरण की रक्षा के लिये अन्य पहल:

- **भारत:**
 - [राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम](#)
 - [गरीन इंडिया मशिन](#)
 - [राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम](#)
 - [राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम](#)
 - [नेशनल मशिन ऑन सस्टेनगि हिमालयन इकोसिस्टम](#)
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनका भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है:**
 - [ओज़ोन परत को नषट करने वाले पदार्थों पर वथिना कन्वेंशन के लिये मॉन्टरयिल प्रोटोकॉल, 1987](#)
 - [खतरनाक अपशषिटाँ के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन, 1989](#)
 - [रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998](#)
 - [स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों \(POP\) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन](#)
 - [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन \(UNFCCC\), 1992](#)
 - [जैवविविधता पर कन्वेंशन, 1992](#)

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि

1. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासल करने की प्रक्रिया और रीतिका वविरण दे ।
2. वह वभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या वसिर्जन के मानक नरिधारति करे ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी की गई थी ।
 - **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** भारत की पर्यावरणीय नरिणय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जसिमें प्रस्तावति परियोजनाओं के संभावति प्रभावों का वसितृत अध्ययन कयि जाता है ।
 - EIA के सबसे महत्त्वपूर्ण नरिधारकों में से एक कसिी भी वकिसात्त्मक परयिोजना पर सार्वजनकि सुनवाई और सार्वजनकि भागीदारी की प्रक्रयि है ।
 - हालाँकि पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम (EPA), 1986 में कहीं भी पर्यावरण संरक्षण के लयि सार्वजनकि भागीदारी का उल्लेख नहीं है । यह पर्यावरण की रक्षा के लयि केवल सरकारी अधिकारयिों और प्रदूषकों से संबधति है ।
 - अतः कथन 1 सही नहीं है ।
- EPA 1986 केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के वभिन्न हसिसों में वशिषिट पर्यावरणीय समस्याओं से नपिटने के लयि प्राधकिरण स्थापति करने हेतु अधकिृत करता है ।
 - EPA, 1986 की धारा 3, केंद्र सरकार को ऐसे स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या नरिवहन के संबध मे मानकों को नरिधारति करने का अधकिार देती है ।
 - अतः कथन 2 सही है ।
- अतः वकिलप (b) सही उत्तर है ।

स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस